



81

PBR/पुनर्विलोकन/खण्डवा/भू.रा/2017/2934
न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला खण्डवा

- 1- जीवनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह, आयु 60 वर्ष
 - 2- जितेन्द्र पुत्र श्री जीवनसिंह, आयु 60 वर्ष
 - 3- संजयसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह आयु 25 वर्ष
- निवासी - ग्राम काल्दाखेडी, तहसील व
जिला खण्डवा (म0प्र0)

श्री. जीवनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
दिनांक 29.8.17 को

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

— आवेदकगण

बनाम

अर्जुनसिंह पुत्र श्री गजराजसिंह राजपूत, आंयु
40 वर्ष, ग्राम काल्दाखेडी, तहसील व जिला
खण्डवा (म0प्र0)

— अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./निगरानी/
खण्डवा/भू.रा./2017/2255 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017
के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत
पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,


आवेदकगण की ओर से यह आवेदन सविनय प्रस्तुत है:-

1. यहकि, अनावेदक द्वारा असत्य एवं झूठे आधारों पर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र ग्राम काल्दाखेडी, तहसील व जिला खण्डवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 263 रकवा 0.07 हैक्टियर भूमि पर से आवेदकगण का वैध कब्जा हटाये जाने बावत् आवेदन पत्र तहसीलदार छैगांव माखन, जिला खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

Dehatundi
29/8/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक PBR-तीन-पुनरावलोकन/खंडवा/भू रा./2017/2934

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/11/17	<p>यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक पीबीआर-निगरानी/खंडवा/भू रा./2017/2255 में पारित आदेश दिनांक 2-8-2017 पर से म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2/ पुनरावलोकन में दर्शाए गए आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही मौखिक तर्कों में दोहराया है, जिन पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह वहीं आधार हैं जिनके सम्बन्ध में प्रकरण क्रमांक पीबीआर-निगरानी/खंडवा/भू रा./2017/2255 में पारित आदेश दिनांक 2-8-2017 में विवेचित कर निष्कर्ष जा चुके हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न व्यवस्था दी गई है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । <p>आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 2-8-17 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके द्वारा ऐसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो। पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से प्रकरण इसी-स्तर पर निरस्त किया जाता है।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>